



Neutral Citation No.- 2026:AHC:130457

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 भा.ना.सु.सं. के अधीन आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदनसंख्या-6293/2026

अजीम हुसैन खान

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: नजम उज़्ज ज़मन खान

विपक्षी के अधिवक्ता: शा.अधि., रघुनंदन प्रसाद तिवारी, राजेश शर्मा

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अ.शा.अधि.को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 629/2023, धारा 120बी भा.दं.सं., थाना-सिविल लाइंस, जिला-अलीगढ़ में जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसे इस अपराध में आरोप-पत्रित नहीं किया गया था और उसे परिवादी, जो कि आवेदक की पत्नी भी है, द्वारा दाखिल आवेदन पर धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए समन किया गया है। आवेदक और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उसे प्रकरण में फंसाया गया है।
4. विद्वान अ.शा.अधि. ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक को संबंधित न्यायालय द्वारा सही ढंग से समन किया गया है और उसे गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है। वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नियमित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। अग्रिम जमानत प्रदान करने का कोई प्रकरण नहीं बनता।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।
6. आवेदक को प्राथमिकी में नामजद नहीं किया गया है। आवेदक को परिवादी का पति बताया गया है। प्राथमिकी स्वयं परिवादी द्वारा उस पर किए गए हमले के संबंध में दर्ज कराई गई है। घटना दिनांक 01.10.2023 की है। विचारण प्रगति पर है और परिवादी के बयान के बाद, धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन एक आवेदन दाखिल किया गया जिस पर आवेदक को समन किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का अवलोकन करने पर, पक्षकारों के बीच वैवाहिक विवाद प्रतीत होता है। हमले के प्रकरण में, प्राथमिकी में आवेदक को नामजद न किया जाना, प्रथम दृष्टया, न्यायालय की राय में, आवेदक की संलिप्तता को संदिग्ध बनाता है।
7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर छोड़ना उचित समझता हूँ।
8. उपर्युक्त के मद्देनजर, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. आवेदक-**अज़ीम हुसैन खान** आज से तीन सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बॉन्ड तथा जमानतदारों को दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा:-
 - i. आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;
 - ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्य बताने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव/धमकी नहीं देगा;



10.उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

11.यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से तत्काल अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

ऐमन

Translated Version. Not for Legal Use.